हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.2.18 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप अनुपस्थित अधिवक्ता/प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित पत्रावली वास्ते ......प्रतिउत्तर...... आगामी पेशी दिनांक...................... को पेश हो । (हस्ताक्षर) 26.2.18	
26/2/18 वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादीगण की ओर से श्री सोहनलाल सहायक व प्रतिवादीगण न. 1, 2 की ओर से श्री श्यामप्रकाश एड. ने वकालतनामा पेश किया। वकील वादी ने कई दस्तावेज मय दस्तावेज पेश किए जो शामिल फाईल किए गये। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 16/3/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16/3/18 वकील उभय पक्ष उप. समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 6/5/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
6/5/18 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील उप. पत्रावली में निर्णय अलग से लिखकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बाद तकमील शुमार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)हनुमानगढ।

नाम पीठासीन अधिकारी–सुरेन्द्र पुरोहित(आर ए एस) निर्णय दिनांक :–

राजस्व वाद संख्या :–248 / 2017

1.विनोद कुमार 2. अनिल कुमार पि. मदनलाल जाति जाट निवासी पक्कासारणा तहसील हनुमानगढ।

–––वादी।

बनाम

1.मदनलाल पुत्र श्री श्योदत्तराम जाति जाट निवासी पक्कासारणा तहसील हनुमानगढ 2. लीलादेवी पुत्री श्री मदनलाल जाति जाट निवासी पक्कासारणा तहसील हनुमानगढ 3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

––––प्रतिवादीगण।

अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधि.

उपस्थितः–

1.श्री सोहनलाल सहारण एडवोकेट–वादी।

2.श्री श्योप्रकाश जाखड एडवोकेट–प्रतिवादी।

दिनांक 6/1/18

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल के नाम से चक 3 यूटीएस खाता संख्या 74 / 81 में 2.530 है. व चक 24 एल एल डब्ल्यू बी में खाता संख्या 72 / 89 में 1.687 है. कृशि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि उक्त कृशि भूमि अर्सा पूर्व वाद पत्र की चरण संख्या 3 अनुसार घरू विभाजन कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। मौका पर कब्जा के संबंध में कोई विवाद नही है। मौका पर कब्जा का त अनुसार मुताबिक घरांघरू बंटवारा अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का प्रतिवादी संख्या 1 को कहा तो वह इन्कार हो गया यही वादी कारण है।

अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण वाद पत्र के पैरा संख्या 3 के अनुसार खातेदार का तकार घोशित किया जावे व वादीगण के नाम से रकमराज अलग कायम की जाकर वादीगण को खातेदार का तकार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की और से अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर जमाबंदी चक 3 यूटीएस खाता संख्या 74 / 81 संवत 2070–73, जमाबंदी चक 24 एल एल डब्ल्यू 72 / 89 संवत 2073–76 आदि पे । किये गये व प्रतिवादी पक्ष की और से प्रमाणित प्रति इन्तकाल 24 एल एल डब्ल्यू संख्या 72 / 89 पे । किया गया।

वादीगण व प्रतिवादीगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई जिन्होने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने का संयुक्त कथन किया। हमारे द्वारा पत्रावली के अवलोकन पाया गया कि

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य पिता–पुत्र/पुत्री है। वादीगण अपने पिता यानि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 3 यूटीएस खाता संख्या 74/81 में 2.530 है. व चक 24 एल एल डब्ल्यू बी में खाता संख्या 72/89 में 1.687 है. कृषि भूमि दर्ज कागजात को मुताबिक धरू विभाजन वाद पत्र की चरण संख्या 3 अनुसार प्राप्त कर रहे है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्तानुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया है जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीया संख्या 2 वादीगण की बहिन ने वादीगण के पक्ष में जरिये राजीनामा हक परित्याग किया है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने से वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनाम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा लोक अदालत की भावना से वाद पत्र डिक्री किया जाना उचित होगा।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर वादीगण को राजीनामा में वर्णितानुसार कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।राजीनामा उक्त निर्णय का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखित दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 6/11/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner